

रजिस्टर्ड नं० एत० १८९



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 19 जुलाई, 1971

आपाढ़ 28, 1893 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका विभाग

संख्या 3007/सत्रह--342-70

दिनांक लखनऊ, 19 जुलाई, 1971

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदयने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिए) विधेयक, 1970 पर दिनांक 17 जुलाई, 1971 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1971 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिए) अधिनियम, 1971

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1971)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ में 31 दिसम्बर, 1971 तक अन्तरिम जिला परिषद् बनाये रखने की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिए) अधिनियम, 1971 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, 1958, में, धारा 1 की उपधारा (3) में, अंक "1970" के स्थान पर अंक "1971" रख दिये जायें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1958 की धारा 1 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिए) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा अस्तित्व में किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6, 1971 का निरसन

No. 3007/XVII—342-70

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad (Banaye Rakhne Ke Liye) Adhinyam, 1971 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 16 of 1971), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 17, 1971:

-----

**THE UTTAR PRADESH ANTRIM ZILA PARISHAD (CONTINUANCE)  
ACT, 1971**

[UTTAR PRADESH ACT NO. 16 OF 1971]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

*to provide for the continuance of Antarim Zila Parishads in Chamoli, Uttarkashi  
and Pithoragarh up to December 31, 1971*

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-Second Year of the Republic of India  
as follows:

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad (Continuance) Act, 1971.

Amendment of  
section 1 of U.P.  
Act XXII of 1958.

2. In the Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad Act, 1958, in sub-section (c) of section 1, for the figures "1970", the figures "1971" shall be substituted.

Repeal of Uttar  
Pradesh Ordinance  
No. 6 of  
1971.

3. The Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad (Continuance) Ordinance, 1971, is hereby repealed.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

विशेष सचिव ।